रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062024-254594 CG-DL-E-06062024-254594

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुन 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946

No. 149]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) सार्वजनिक सूचना नई दिल्ली, 6 जून, 2024 सं. 10/2024–25

विषयः अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेषों (क्यूसीओ) के अधीन निविष्टियों के आयात के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाने के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/13/एएम-15/पीसी-2 [क]/ई-5910.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा परिशिष्ट 2म (उन मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है) को संशोधित करते हैं। अद्यतित परिशिष्ट 2म इसके साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है। (किए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में दर्षाए गए हैं):

परिशिष्ट<u>–2म</u>

(एफ़टीपी का पैरा 2.03 (ग) देखें)

मंत्रालयों / विभागों की सूची, जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग / उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है।

क्रम संख्या	मंत्रालयों / विभागों के नाम
1.	इस्पात मंत्रालय
2.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी)
3.	वस्त्र मंत्रालय **
4.	खान मंत्रालय
5.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (डीसीपीसी)**

3425 GI/2024 (1)

** वस्त्र मंत्रालय और डीसीपीसी के उत्पादों के लिए ईओ अवधि एफटीपी, 2023 के पैरा 2.30 (क) (i) (छ) के अनुसार विनियमित है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 11.03.2024 की अधिसूचना संख्या 71/2023 के अनुसरण में रसायन एवं पेट्रो—रसायन विभाग को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2म के तहत मंत्रालयों/विभागों की सूची में तत्काल प्रभाव से जोड़ा गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

Public Notice

New Delhi, the 6th June, 2024

No. 10/2024-25

Subject: Enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance Authorisation holders, EOU and SEZ - regarding.

F. No.01/89/180/13/AM-15/PC-2[A]/E-5910.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Director General of Foreign Trade hereby makes amendment in Appendix 2Y (the list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilized/consumed in manufacture of export products). The updated Appendix 2Y is reproduced herewith (changes made are indicated in bold letters):

Appendix -2Y

(Refer Para 2.03(c) of FTP)

The list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products

Sl.No	Name of Ministry / Department
1	Ministry of Steel
2	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
3	Ministry of Textiles**
4	Ministry of Mines
5	Department of Chemicals & Petro-chemicals (DCPC)**

^{**}The EO Period for the products of Ministry of Textiles and DCPC is regulated in terms of para 2.30(A)(i)(g) of FTP, 2023

Effect of this Public Notice:

In pursuance of Notification No. 71/2023 dated 11.03.2024, Department of Chemicals & Petro-chemicals have been added in the list of Ministries/Departments under Appendix 2Y of FTP, 2023, with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.